"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 489] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 सितम्बर 2014 — भाद्र 25, शक 1936

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-4/2011/23/वि.यो. — जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-9/2007/23/ वियो, दिनांक 8 नवम्बर, 2007 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 4-4/2011/23, दिनांक 05 जुलाई, 2011 के अतिरिक्त, सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) नियुक्त करती है. ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने के तिथि से प्रभावी होंगी.

सारणी

स. क्र. (1)	अधिकारी (2)	क्षेत्र (3)
1	समस्त शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी.	उनके चिकित्सालय में घटित संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये.
2	समस्त शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी.	उनके चिकित्सालय में घटित संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये
3	केन्द्र-राज्य के समस्त सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अस्पताल के प्रभारी अधिकारी	उनके चिकित्सालय में घटित संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, सचिव.

Raipur, the 16th September 2014

NOTIFICATION

No. F 4-4/2011/23/F&P. -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969), and in addition to this Department's Notification No. 4-9/2007/23/F & P, dated 8th November, 2007 and Notification No. 4-4/2011/23, dated 5th July, 2011, the State Government, hereby, appoints officers as specified in column (2) of the Table below as Registrar (Births and Deaths), for the area as specified in column (3) of the said table in order to strengthen the Civil Registration System. These appointments shall take effect from the date of issuance of this Notification.

TABLE

S. No. (1)	Officer (2)	Jurisdiction (3)
1.	Officer in-charge of all Government Community Health Center.	Within their Hospital, for institutional Births, Deaths and Still Births
2.	Officer in-charge of all Government Primary Health Center.	Within their Hospital, for institutional Births, Deaths and Still Births.
3	Officer in-charge of all Central-State Public Sector Unit Hospitals.	Within their Hospital, for institutional Births, Deaths and Still Births.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEBASISH DAS, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-4/2011/23/वि यो. -- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) [illegible] प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक [illegible] 23/वि.यो. दिनांक 8 नवम्बर, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

1. सारणी के सरल क्रमांक 7 के कॉलम 3 में, शब्द "रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु" के स्थान पर, शब्द "अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. सारणी के सरल क्रमांक 8 के कॉलम 3 में, शब्द "उप-रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु" के स्थान पर, शब्द "रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 4-4/2011/23/F&P. — In exercise of the powers conferred by (1) & (2) of Section 4, sub-section (1) of Section 6 and sub-section (1) of Section 7 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. 4-9/2007/23/F & P, dated 8th November, 2007, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

1. In column (3) of serial number 7 of table, for the words "Registrar Births and Deaths", the words "Additional District Registrar, Births and Deaths" shall be substituted.

2. In column (3) of serial number 8 of table, for the words "Sub-Registrar Births and Deaths", the words "Registrar, Births and Deaths" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-4/2011/28/वि.यो. — जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जन्म - मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 5 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) जन्म, [illegible] मृत्यु, तथा मृत-जन्म के रजिस्ट्रेशन के लिये, यथास्थिति, धारा 8, 9 एवं 10 के अधीन रजिस्ट्रार को दिये जाने के लिये अपेक्षित जानकारी, क्रमशः प्ररूप 1, 2 एवं 3, (जिसे इसमें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से रिपोर्ट प्ररूप में कहा जायेगा) में होगी :

परन्तु यह कि सूचना यदि मौखिक रूप से दी जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा उपयुक्त रिपोर्ट प्ररूपों में प्रविष्ट की जायेगी और वह सूचनादाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान आदि प्राप्त करेगा.

No. F 4-4/2011/23/F&P. — In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Registration of Births and Deaths Rules, 2001, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

For sub-rule (1) of rule 5, the following shall be substituted, namely :-

"(1) For the registration of birth, adopted child, death and still birth, requisite information to be given to the Registrar under Section 8, 9 and 10, as the case may be, shall be in a Form -1, 2 and 3 respectively (hereinafter to be collectively called the reporting Forms) :

Provided that information if given orally shall be entered by the Registrar in the appropriate reporting Forms and he shall obtain Signature/thumb impression of the informant."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-4/2011/23/वि.यो. — जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 13 की उप-धारा (2) सहपठित छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के नियम 9 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जन्म-मृत्यु का, उसके घटित होने के तीस दिवस के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर, विलंबित पंजीयन हेतु शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ए. एन. एम./ एम. पी. डब्ल्यू. को, उनके कार्यक्षेत्र की सीमा के भीतर, लिखित अनुज्ञा देने के लिए, प्राधिकृत करती है. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

No. F 4-4/2011/23/F&P. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969), read with sub-rule (2) of rule 9 of the Chhattisgarh Registration of Births and Deaths Rules, 2001, for the production of affidavit of the delayed registration of the Births-Deaths after thirty days but within one year of its occurrence, the State Government, hereby, authorize the Head Master of Government Middle School/Principal of Government High/Higher Secondary School/Aanganwadi worker/ A. N.M./M. P. W. within the limits of their working area to give written permission. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

आदेश

क्रमांक एफ 4-4/2011/23/वि.यो.— जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, शासकीय स्कूलों के प्रधान पाठक/ प्राचार्य, महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए. एन. एम. एवं एम. पी. डब्ल्यू.), प्रशिक्षित दाई एवं मितानीन को उनके कार्यक्षेत्र की सीमा के भीतर, घर में हुए जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए, आगामी आदेश तक, अधिसूचक नियुक्त करती है. ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी.

No. F 4-4/2011/23/F&P. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Registration of Births and Deaths Act,1969 (No. 18 of 1969), the State Government, hereby, appoints the Headmaster/ Principals of Government School, Male and Female Health Workers (A.N.M. and M.P.W.) Traired Dias and Mitaneen as notifier, till further order, within the limit of their working area of the Registration of Births and Deaths occurred in home. These appointments shall take effect from the date of issuance of this Order.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.